

9661/11

70/1037



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



रामिनाथ



**विक्रय विलेख**

प्रतिफल की धनराशि	-	रु0 1,96,335/-
बाजारु मूल्य	-	रु0 6,62,400/-
अदा किये गये जगरल स्टैम्प-	रु0	46,450/-
परगना	-	बिजनीर

**विक्रय विलेख का संक्षिप्त विवरण**

1. भूमि का प्रकार - कृषि
2. परगना - बिजनीर

रामिनाथ

2  
3/5/2010



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



(2)

3. ग्राम — बरौना
4. सम्पत्ति का विवरण — आराजी खसरा संख्या-142स व 158 का भाग
5. मापन की इकाई — हेक्टेअर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल — 0.0552 हेक्टेअर
7. सड़क की स्थिति—(परिशिष्ट के अनुसार)  
— सुल्तानपुर रोड व अगर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर।
8. अन्य विवरण(लिनिक मार्ग/जनपदीय/राजकीय मार्ग इत्यादि)— X
9. सम्पत्ति का प्रकार :- कृषि भूमि
10. पेड़ों का मूल्यांकन — X
11. बोरिंग/कुआं/अन्य — X
12. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है— नहीं

21/05/12

—3

उत्तर प्रदेश



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



(3)

चौहद्दी भूमि खसरा संख्या-142स

पूर्व	:	भूमि खसरा संख्या-140
पश्चिम	:	भूमि खसरा संख्या-139
उत्तर	:	भूमि खसरा संख्या-143
दक्षिण	:	भूमि खसरा संख्या-141

चौहद्दी भूमि खसरा संख्या-158

पूर्व	:	भूमि खसरा संख्या-140
पश्चिम	:	भूमि खसरा संख्या-167
उत्तर	:	भूमि खसरा संख्या-140
दक्षिण	:	भूमि खसरा संख्या-157

रजिस्ट्रार

—4

उमेश कुमार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



(4)

प्रथम पक्ष की संख्या (1)

द्वितीय पक्ष की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण

रामानन्द पुत्र स्व० भगवान दीन निवासी ग्राम-बरीना, परगना-बिजनौर,  
तहसील व जिला-लखनऊ।

क्रेता का विवरण

उमेश कुमार पुत्र श्री मुन्ना निवासी 14/355, बरफखाना, नई बस्ती,  
उदयगंज, लखनऊ।

रिजिस्ट्रार

—5

उमेश कुमार/2



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



(5)

यह विक्रय विलेख रामानन्द पुत्र स्व० भगवान दीन निवासी ग्राम-बरीना, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला-लखनऊ, (जिसे आगे विक्रेता कहा गया है) एवम् उमेश कुमार पुत्र श्री मुन्ना निवासी 14/355, बरफखाना, नई बस्ती, उदयगंज, लखनऊ, (जिसे आगे क्रेता कहा गया है), के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या-142स, कुल रकबा 0.0510 हेक्टेयर में से 1/6 भाग यानी 0.0085 हेक्टेयर व भूमि खसरा संख्या-158 कुल रकबा-0.4210 हेक्टेयर में से 1/9 भाग यानी 0.0467 हेक्टेयर, कुल दो किता विक्रीत रकबा 0.0552 हेक्टेयर (अपना सम्पूर्ण अंश), स्थित ग्राम-बरीना, परगना-बिजनौर, तहसील व

शिमला

उमेश कुमार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



(6)

जिला-लखनऊ, का मालिक कामिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम सं०-००३४६ व ००३२४ के अनुसार भूमि विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है, विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि की मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरप्लस भूमि का हिस्सा नहीं है। यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेता ने उक्त

रामलाल

—7  
इमेश कुमार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 608490

5 MAY 2010

(7)

भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है, तो उसके जिम्मेदार विक्रेता व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होंगे। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रुपया-1,96,335/- (एक लाख छियान्ने हजार तीन सौ पैंतीस रुपया मात्र) के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त क्रेता द्वारा

—8

श्रीमन्त

श्रीमन्त



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 5000

पाँच हजार रुपये

Rs. 5000

FIVE THOUSAND RUPEES

भारत गणराज्य

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 8 -

विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करता है, तदनुसार उक्त विक्रेता द्वारा उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत किया गया है, को कतई बेच दिया गया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में

२। ५। ५७

— 9 —

३५२१३५१२



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 9 -

धारण एवं उपयोग व उपभोग करेगा। विक्रेता व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण प्रोता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो प्रोता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर लें। उस स्थिति में

21/2/12

— 10 —

21/2/12



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 10 -

विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि विक्रेता यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दारिजल स्वारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का

शुद्ध एवं

— 11

श्री 21/5/12



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 11 -

अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेगा, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम-बरीना, अर्द्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है जिसका क्षेत्रफल 0.0552 हेक्टेयर है। चूंकि विक्रीत भूमि का क्षेत्रफल 5 बिस्वा से कम है, अतः श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय लखनऊ द्वारा निर्धारित आवासीय दर रूपया 1200/- प्रति वर्गमीटर के अनुसार विक्रीत भूमि के क्षेत्रफल-0.0552 हेक्टेअर यानी

2/अन-3

— 12

3/2/अन-1



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 12 -

552 वर्गमीटर की कुल सरकारी मालियत मुबलियत रूपया 6,62,400/- होती है। विक्रीत भूमि का विक्रय मूल्य रूपया 1,96,335/- है, जो कि सरकारी मालियत से कम है। अतः सरकारी मालियत पर शासकीय शासनादेश संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या-स. वि.क.नि.5-2756/11-2008-500 (165)/2007 दिनांक 30.06.2008 के अनुसार 7 प्रतिशत की दर से मुबलियत रूपया 46,450/- का स्टाम्प अदा किया गया है। उक्त विक्रीत भूमि

रामिनी

— 13

अमर उज्ज्वल



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 13 -

पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है। विक्रेता व क्रेता का स्थायी व अस्थायी पता उपरोक्तानुसार है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। भूमि में कोई इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नहीं चल रही हैं व कोई पेड़, नलकूप, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मी० के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है। विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राष्ट्रीय मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग

2/11/2013

— 14 —

उपे 2/11/2013



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



-14-

आदि पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता व क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

श्रीमती

--- 15

जिसे श्रीमान

भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50



FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 924186

- 15 -

विवरण भूमि बिक्रीशुदा

भूमि खसरा संख्या-142स, कुल रकबा 0.0510 हेक्टेयर में से 1/6 भाग यानी 0.0085 हेक्टेयर व भूमि खसरा संख्या-158 कुल रकबा-0.4210 हेक्टेयर में से 1/9 भाग यानी 0.0467 हेक्टेयर, कुल दो किता विक्रीत रकबा 0.0552 हेक्टेयर (अपना सम्पूर्ण अंश), स्थित ग्राम-बरोना, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला-लखनऊ।

२१/११/१५

— 16

३१/११/१५

दिनांक: 10/5/2010  
 पुराना: 3/11/2009  
 पुराना: 3/11/2009  
 पुराना: 3/11/2009  
 पुराना: 3/11/2009

**विशेष कर**

(196,339.00) 663,000.00 10,000.00 20 10,020.00 1,000  
 (कॉम सेक्टर) (कॉम सेक्टर) (कॉम सेक्टर) (कॉम सेक्टर)

प्रमाणित कृषि  
 निवासी न्यायी  
 प्रमाणित कृषि  
 निवासी न्यायी  
 प्रमाणित कृषि  
 निवासी न्यायी

रामेश कुमार



रामेश कुमार अधिकारी के हस्ताक्षर  
 सी.के. द्विवेदी  
 उप निबंधक (प्रथम)  
 लखनऊ  
 10/5/2010

निवासी न्यायी का नाम रामेश कुमार है।  
 निवासी न्यायी का नाम रामेश कुमार है।  
 निवासी न्यायी का नाम रामेश कुमार है।  
 निवासी न्यायी का नाम रामेश कुमार है।

रामेश कुमार

रामेश कुमार  
 पुराना नुमा  
 पुराना नुमा  
 निवासी 14/355 बरकलाना प्रमाणित कृषि



निवासी न्यायी का नाम रामेश कुमार है।  
 निवासी न्यायी का नाम रामेश कुमार है।  
 निवासी न्यायी का नाम रामेश कुमार है।  
 निवासी न्यायी का नाम रामेश कुमार है।

रामेश कुमार



रामेश कुमार अधिकारी के हस्ताक्षर  
 सी.के. द्विवेदी  
 उप निबंधक (प्रथम)  
 लखनऊ  
 10/5/2010

प्रमाणित कृषि का नाम रामेश कुमार है।

तफसील बसलूयाबी जरसमन

1. रूपया 1,80,000/- प्राप्त द्वारा चेक संख्या-363354  
दिनांकित 10.05.2010 पंजाब नेशनल बैंक, हजरतगंज, लखनऊ
2. रूपया 16,335/- नगद प्राप्त।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रूपया-1,96,335/- (एक लाख छियान्नवे हजार तीन सौ पैंतीस रूपया रूपया मात्र) विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर लिया है। अब कोई भी धनराशि विक्रीत आराजी से सम्बन्धित क्रेता उपरोक्त से पाना शेष नहीं रहा।

लखनऊ

दिनांक : 10.05.2010

गवाहान :

1. पकज शर्मा  
बाम नरेश शर्मा  
लखनऊ (लखनऊ)

2. रामशंकर  
श्री ०० बंगला गरीब  
लखनऊ करीना  
लखनऊ

ह० विक्रेता  
श्री ००

श्री ००  
ह० क्रेता

टाइपकर्ता

Soni  
(सोनू बालाजी)  
कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

मसविदाकर्ता

M. Phinod  
(मानकेंद्र प्रताप सिंह) Adv  
एडवोकेट  
कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

मिशन

Registration No: 9461

Year: 2010

Batch No: 1

0101 शिवराज

श्री. शिवराज  
राजेश्वरी लखनऊ  
द्वारा



भूमि स्वसरा सं- 1488 व 1518  
ग्राम - बरौना



राम वंश

जमशुमा

कैला

Registration No. : 9461

Year: 2010

Book No. : 1

Q201 : अशोक कुमार

पुत्र

14/355 पुराणिकाना अकादमी अकादमी

पौराणी



रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के  
अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्टर्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता :- रामानन्द पुत्र स्व० भगवान  
दीन निवासी ग्राम-बरौना, परगना-बिजनौर, तहसील व  
जिला-लखनऊ

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



रामानन्द

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता का नाम व पता :- उमेश कुमार पुत्र श्री मुन्ना निवासी  
14/355, बरफखाना, नई बस्ती, उदयगंज, लखनऊ  
बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



उमेश कुमार  
क्रेता के हस्ताक्षर

आम्र दिनांक 10/05/2010 को  
पृष्ठ सं. 1 दिनांक सं. 11520  
पृष्ठ सं. 133 से 168 पर क्रमांक 9461  
भित्तीयकृत मिला स्या ।

भित्तीयकृत आधिकारी के सम्मुख



श्री. के. शिवेदी

उप निदेशक (उपम)

सम्बन्ध

10/05/2010

